प्रकरण संख्या 21/18 2018/00096 ता0रजू 16.11.2018

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी नन्नूमल पहाडिया आई.ए.एस.

मुंशीलाल मीना पुत्र मूडया मीना जाति मीना उम्र 36 साल निवासी वाजीतपुर तहसील करौली जिला करौली राज0 प्राधिकार पत्र 1/2 भाग ग्राम पंचायत काशीपुरा, जिला करौली

– अपीलाण्ट

बनाम

राज0 सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी करौली, जिला करौली राज0

– रेस्पोण्डेण्ट्स

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 15.10.2018 न्यायालय जिला रसद अधिकारी करौली उनवानी सरकार बनाम मुंशीलाल मीना, मुकदमा नंबर 236/2015 जिसकी रूह से प्राधिकार संख्या 321/2007 ग्राम पंचायत काशीपुरा 1/2 भाग को निरस्त किया गया है के विरूद्ध

निर्णय दिनांक 26.08.2019

यह अपील, अपीलाण्ट की ओर से राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की धारा 22 के तहत प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी राशन डीलर की जन्मतिथि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खिरखिड़ा (तत्कालीन समय में प्राथमिक विद्यालय) के एस.आर. रजिस्टर, डुप्लीकेट टी.सी. की काउन्टर फाईल के अनुसार 19.08.1983 है। विद्यालय प्रवेश आवेदन फार्म संख्या 512 दिनांक 19.03.1989 पर अपीलार्थी के पिता मूडया मीना की अंगूठा निशानी तथा अपीलार्थी को कक्षा पहली में प्रवेश के समय आयु के कॉलम में आयु 6 वर्ष अंकित है। दिनांक 22.01.2007 को प्रधानाचार्य मां भवानी जगदम्बा आदर्श माध्यमिक विद्यालय सैमरदा अस्थल द्वारा जारी पाठशालान्तर प्रवेशानुज्ञा में अपीलार्थी की जन्मतिथि 19.08.1992 अंकित है। अपीलार्थी द्वारा राशन डीलर का प्राधिकार पत्र प्राप्त करते समय प्रस्तुत किये गये आवेदन के साथ मां भवानी जगदम्बा आदर्श माध्यमित विद्यालय सैमरदा अस्थल तहसील करौली का रौल नं. 135 सत्र 1997–98 का प्रधानाध्यापक द्वारा जारी दिनांक 15.05.1998 को जारी परीक्षा परिणाम पत्रक संलग्न किया था जिसमें जन्म तिथि 19.08.1982 दर्शायी गई है जिसे प्रधानाध्यापक मां भवानी जगदम्बा आदर्श माध्यमिक विद्यालय, सैमरदा अस्थल, तहसील करौली विद्यालय द्वारा जिला रसद अधिकारी करौली को लिखे गये पत्र दिनांक 19.05.2008 एवं थानाधिकारी करौली को लिखे गये पत्र दिनांक 04.10.2008 में फर्जी बताया जाना, विद्यालय द्वारा जारी नहीं होना बताया जाना, अपीलार्थी की विद्यालय रिकॉर्ड के अनुसार जन्म तिथि 19.08.1992 होना अंकित किया है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा फर्जी अंकतालिका के आधार पर राशन प्राधिकार पत्र प्राप्त किया जाना प्रमाणित किये जाने पर अपीलार्थी के राशन डीलर प्राधिकार पत्र को दिनांक 15.10.2018 को निरस्त किया गया है, जिसके विरुद्ध यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलाण्ट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जैर अपील दिनांक 15.10.2018 पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व रिकॉर्ड के विपरीत होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है।

जिला कलक्टर करौली

अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करते समय प्रार्थी अपीलाण्ट को कोई सुनवाई का अवसर दिये बिना एकतरफा निर्णय पारित किया गया है जो नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत है। प्रार्थी डीलर अपीलाण्ट के विरूद्ध दिनांक 04.01.2018 को राजूलाल पुत्र रामहेत जाति मीना निवासी वाजीतपुर तहसील व जिला करौली द्वारा झूठे तथ्यों के आधार पर श्रीमान जिला रसद अधिकारी के समझ आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रार्थी डीलर की अंकतालिका व टी.सी. के आधार पर दुकानदार का प्राधिकार पत्र प्राप्त करने का आरोप झूठा लगाया गया जिस पर जिला रसद अधिकारी करौली ने ई.आई. करौली से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये। प्रवर्तन निरीक्षक करौली अमित कुमार द्वारा उक्त प्रकरण की बगैर किसी प्रकार की जांच पडताल किये शिकायतकर्ता राजूलाल के प्रभाव में आकर राजूलाल के कहने पर एकतरफा तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार की गयी। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा ना तो प्रार्थी को जांच करते वक्त बुलाया गया ना ही कोई दस्तावेजात प्रस्तुत करने का मौका अवसर दिया गया। शिकायतकर्ता के कहने व प्रभाव में आकर झूठी तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार कर रसद अधिकारी करौली को प्रस्तुत कर दी जिसके आधार पर बगैर गौर किये, माईण्ड एप्लाई किये बिना व प्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना एकतरफा मानस बनाकर प्रार्थी अपीलाण्ट का प्राधिकार पत्र संख्या 236/2015 निरस्त फरमा दिया गया है। शिकायतकर्ता राजूलाल व प्रार्थी डीलर अपीलाण्ट दोनों के न्यायालय श्रीमान ए0डी0जे0 कोर्ट करौली व प्रींसिपल किशोर न्याय बोर्ड करौली में मुकदमें चल रहे है। इस मुकदमेंबाजी रंजिश के कारण शिकायतकर्ता राजूलाल के परिवारजन नेमीचन्द मीना जो कि वर्तमान में ग्राम पंचायत काशीपुरा 1/2 भाग का राशन डीलर है एवं अपीलार्थी भी ग्राम पंचायत काशीपुरा 1/2 भाग का प्राधिकारी है। नेमीचंद डीलर द्वारा अपीलाण्ट की डीलरशिप को अपने कब्जे में करने के आशय से पूर्व में एक झूठी शिकायत श्रीमान जिला रसद अधिकारी करौली के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी। उक्त झूठी शिकायत पर जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा प्रार्थी अपीलाण्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त दिनांक 16.06.2015 को कर दिया गया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट प्रार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में एक याचिका पेश की गई जिसकी सिविल रिट याचिका संख्या सीडब्लयूपी नंबर 5211/2011 उनवानी मुंशीलाल बनाम सरकार प्रस्तुत की गयी। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय जयपुर ने आयु की जांच रिपोर्ट भिजवाने के आदेश दिये गये थे। उक्त आदेश क्रमांक 139–143 दिनांक 08.03.2013 द्वारा तीन सदस्यीय कमेटी तहसीलदार करौली बी.डी.ओ. पंचायत समिति करौली, बी.ई.ओ. करौली को गठन करते हुये इस कमेटी को अपीलाण्ट मुंशीलाल की आयु की सत्यता की सही एवं निस्पक्ष जांच शैक्षणिक एवं अन्य रिकार्ड के आधार पर दिनांक 12.03.2013 को मौके पर उपस्थित होकर जांच करने एवं रिपोर्ट दिनांक 15.03.2013 तक प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये। अपीलाण्ट मुंशीलाल व शिकायतकर्ता नेमीचंद दोनो की उपस्थिति में स्कूल प्रधानाध्यापक व अन्य ग्रामीणों के समक्ष जांच की गयी। तीन सदस्यीय कमेटी द्वारा अपनी जांच के दौरान दस्तावेजी साक्ष्य के दौरान राज0 उ0 प्रा0 विधालय खिरखिडा में प्रवेश के लिये प्रस्तुत आवेदन पत्र की छाया प्रति व छात्र प्रवेश रजिस्टर की छाया प्रति व डूप्लीकेट टी.सी. काउन्टर की छाया प्रति के साथ प्रस्तुत रिपोर्ट में जांच कमेटी ने पूरी छान बीन जांच पडताल के आधार पर अपीलाण्ट मुंशीलाल मीना की जन्मतिथि विधालय रिकोर्ड के आधार पर 19.08.1983 मानते हुये अपीलाण्ट मुंशीलाल मीना की जन्मतिथि 19.08.1983 वैध माना गया। उक्त जांच रिपोर्ट तीन सदस्यीय कमेटी द्वारा जांच रिपोर्ट के आधार पर उक्त प्रकरण अपीलाण्ट मुंशीलाल को माननीय उच्च न्यायालय ने प्राधिकार पत्र बहाल करने के आदेश रेस्पोंडेण्ट को दिये गयें। तभी से अपीलाण्ट मुंशीलाल लगातार रूप से उचित मूल्य की दुकानदारी कर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। अपीलाण्ट मुंशीलाल दोनो पैरो से विकलांग है और प्रार्थी अपीलाण्ट विकलांगता वरीयता के आधार पर

जिला कलक्टर
करौली

प्राधिकार पत्र वैध रूप से जारी किया गया है। राजूलाल व नेमीचंद आपसी षडयंत्र रच कर मुकदमेबाजी की रंजिश के कारण झूठी शिकायतें बार-बार करते रहे है। उक्त झूठी शिकायत की रेस्पोण्डेण्ट ने गौर ना करते हुये मात्र एक झूठी शिकायत को आधार मानकर एकतरफा मानस बना कर प्रार्थी अपीलाण्ट का प्राधिकार पत्र 1/2 भाग ग्राम पंचायत काशीपुरा निरस्त कर दिया गया है जबकि प्रार्थी अपीलाण्ट का बताई गयी फर्जीयत से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रार्थी अपीलाण्ट का प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने योग्य है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का कथन किया है।

प्रत्यर्थी का बहस में कथन है कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 22.02.2007 को राशन डीलर प्राधिकार पत्र का आवेदन करते समय मां भवानी जगदम्बा आदर्श माध्यमिक विद्यालय सैमरदा अस्थल तहसील करौली का रौल नं. 135 सत्र 1997-98 का प्रधानाध्यापक द्वारा दिनांक 15.05.1998 को जारी परीक्षा परिणाम पत्रक एवं दिनांक 10.03.2006 को जारी पाठशालान्तर प्रवेशानुज्ञा की छायाप्रतियां प्रस्तुत की थीं जिनमें अपीलार्थी की जन्मतिथि 19.08.1982 दर्शायी गई थी जिसके आधार पर अपीलाण्ट को प्राधिकार पत्र जारी किया गया था। इस प्राधिकार पत्र के विरुद्ध श्री नेमीचंद मीना द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट संख्या 4026/2008 दाखिल की गई थी जिसमें पारित निर्णय दिनांक 14.03.2011 की पालना में अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र दिनांक 13.04.2011 को निरस्त किया गया था। इस आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट संख्या 5211/2011 प्रस्तुत की जिसमें पारित निर्णय दिनांक 31.10.2012 में आदेश दिनांक 13.04.2011 को निरस्त करते हुए अपीलार्थी की आयु की पुनः जांच करने के निर्देश दिये गये। माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 31.10.2012 की पालना में तीन सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया। तीन सदस्यीय जांच कमेटी ने जांच रिपोर्ट दिनांक 12.03.2013 को रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खिरखिड़ा (तत्कालीन समय में प्राथमिक विद्यालय) के एस.आर. रजिस्टर, डुप्लीकेट टी.सी. की काउन्टर फाईल की छायाप्रति तथा विद्यालय रिकॉर्ड के अनुसार 19.08.1983 मानी है। उक्त विद्यालय में अपीलार्थी श्री मुंशीलाल पुत्र मूडया के प्रवेश फॉर्म सं. 512 दिनांक 19.03.1989 में अपीलार्थी की जन्मतिथि 19.08.1983 तथा प्रवेश के समय अनुमानित आयु के कॉलम में 6 वर्ष अंकित है जिस पर अपीलार्थी के पिता मूडया मीना की अंगूठा निशानी है। अपीलार्थी की लोकायुक्त में शिकायत होने पर उपखण्ड अधिकारी करौली से जांच करवाई गई जिन्होंने तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया तथा कमेटी से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 23.02.2015 को जिला रसद अधिकारी करौली को दिनांक 25.02.2015 को रिपोर्ट प्रेषित की। जांच रिपोर्ट अनुसार जांच दिनांक 12.03.2013 के अनुसार राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय (तत्कालीन प्राथमिक विद्यालय) खिरखिड़ा के विद्यालय रिकॉर्ड के अनुसार अपीलार्थी की जन्मतिथि 19.08.1983 है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, करौली (राज.) से वर्ष 2005 में कक्षा 08 की अपीलार्थी की नामांक 6764 की अंकतालिका में अपीलार्थी के मां भवानी जगदम्बा आदर्श माध्यमिक विद्यालय सैमरदा में केटेगरी कॉलम में Regular बताते हुए अपीलार्थी की जन्मतिथि 19.08.1992 अंकित है। इसी प्रकार दिनांक 22.01.2007 को प्रधानाचार्य मां भवानी जगदम्बा आदर्श माध्यमिक विद्यालय सैमरदा अस्थल द्वारा जारी पाठशालान्तर प्रवेशानुज्ञा में श्री मुंशीलाल मीणा की जन्मतिथि 19.08.1992 अंकित है। प्रधानाध्यापक मां भवानी जगदम्बा आदर्श माध्यमिक विद्यालय सैमरदा अस्थल द्वारा जिला रसद अधिकारी करौली को दिनांक 09.05.2008 को एवं थानाधिकारी करौली को दिनांक 04.10.2008 को लिखे गये पत्र में अंकित किया है कि विद्यालय रिकॉर्ड के अनुसार श्री मुंशीलाल पुत्र श्री मूडया लाल मीणा की विद्यालय रिकॉर्ड के अनुसार जन्मतिथि 19.08.1992 है एवं प्राधिकार पत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत करते समय मुंशीलाल पुत्र मूडया लाल मीणा द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज

जिला कलक्टर
करौली

विद्यालय द्वारा जारी नहीं किये गये हैं एवं फर्जी हैं। मुताबिक प्रवेश प्रार्थना पत्र मां भवानी जगदम्बा आदर्श माध्यमिक विद्यालय सैमरदा (अस्थल) में श्री मुंशीलाल पुत्र मूडया मीना के कक्षा 8 में प्रवेश के समय इसकी आयु 13 वर्ष व जन्मतिथि 19.08.1992 अंकित होकर इस प्रार्थना पत्र के क्र.सं. 12 "प्रवेश के पूर्व जिस पाठशाला में अध्ययन किया हो, उसका नाम, स्थान, प्रमाण–पत्र तथा प्राप्तांक सूची" के कॉलम में गो.आ.विद्या मंदिर खिरखिड़ा अंकित है। गोविन्द आदर्श शिक्षा समिति खिरखिडा से दिनांक 07.07.2004 को जारी पाठशालान्तर प्रवेशानुज्ञा व सत्र 2003–04 का कक्षा 07 का जारी परीक्षा परिणाम पत्रक में श्री मुंशीलाल की जन्मतिथि 19.08.1992 अंकित है। इस प्रकार अपीलार्थी की जन्मतिथि अलग–अलग अंकित होना एवं अपीलार्थी द्वारा प्राधिकार पत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत करते समय प्रस्तुत अंकतालिका व टी.सी. का फर्जी होना प्रमाणित पाये जाने पर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है जो पूर्णरूपेण विधिसम्मत है। अपीलार्थी को जांच कमेटी द्वारा जांच रिपोर्ट प्रेषित करने से पूर्व एवं जिला रसद अधिकारी द्वारा अपना आलोच्य आदेश दिनांक 15.10.2018 पारित करने से पूर्व सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का कथन किया है।

हमने बहस उभय पक्षकारान व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 25.02.2007 को राशन डीलर का प्राधिकार पत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत करते समय मां भवानी जगदम्बा आदर्श माध्यमिक विद्यालय सैमरदा अस्थल द्वारा दिनांक 15.05.1998 को जारी रौल नं. 135 सत्र 1997–98 का परीक्षा परिणाम पत्रक एवं दिनांक 10.03.2006 को जारी पाठशालान्तर प्रवेशानुज्ञा पेश की थी जिनमें अपीलार्थी की जन्मतिथि 19.08.1982 अंकित है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खिरखिड़ा (तत्कालीन समय में प्राथमिक विद्यालय) के एस.आर. रजिस्टर, डुप्लीकेट टी. सी. की काउन्टर फाईल, विद्यालय रिकॉर्ड के अनुसार अपीलार्थी की जन्मतिथि 19.08. 1983 है। उक्त विद्यालय में अपीलार्थी श्री मुंशीलाल पुत्र मूडया के प्रवेश फॉर्म सं. 512 दिनांक 19.03.1989 में अपीलार्थी की जन्मतिथि 19.08.1983 तथा प्रवेश के समय अनुमानित आयु के कॉलम में 6 वर्ष अंकित है जिस पर अपीलार्थी के पिता मूडया मीना की अंगूठा निशानी है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, करौली (राज.) से वर्ष 2005 में कक्षा 08 की अपीलार्थी की नामांक 6764 की अंकतालिका में अपीलार्थी के मां भवानी जगदम्बा आदर्श माध्यमिक विद्यालय सैमरदा में केटेगरी कॉलम में Regular बताते हुए अपीलार्थी की जन्मतिथि 19.08.1992 अंकित है। इसी प्रकार दिनांक 22.01.2007 को प्रधानाचार्य मां भवानी जगदम्बा आदर्श माध्यमिक विद्यालय सैमरदा अस्थल द्वारा जारी पाठशालान्तर प्रवेशानुज्ञा में श्री मुंशीलाल मीणा की जन्मतिथि 19.08.1992 अंकित है। प्रधानाध्यापक मां भवानी जगदम्बा आदर्श माध्यमिक विद्यालय सैमरदा अस्थल द्वारा जिला रसद अधिकारी करौली को दिनांक 09.05.2008 को एवं थानाधिकारी करौली को दिनांक 04.10.2008 को लिखे गये पत्र में अंकित किया है कि विद्यालय रिकॉर्ड के अनुसार श्री मुंशीलाल पुत्र श्री मूडया लाल मीणा की विद्यालय रिकॉर्ड के अनुसार जन्मतिथि 19.08. 1992 है एवं प्राधिकार पत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत करते समय मुंशीलाल पुत्र मूडया लाल मीणा द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज विद्यालय द्वारा जारी नहीं किये गये हैं एवं फर्जी हैं। मां भवानी जगदम्बा आदर्श माध्यमिक विद्यालय सैमरदा (अस्थल) में श्री मुंशीलाल पुत्र मूडया मीना के कक्षा 8 में प्रवेश के समय प्रस्तुत प्रवेश प्रार्थना पत्र में उसकी आयु 13 वर्ष व जन्मतिथि 19.08.1992 अंकित होकर इस प्रार्थना पत्र के क्र.सं. 12 "प्रवेश के पूर्व जिस पाठशाला में अध्ययन किया हो, उसका नाम, स्थान, प्रमाण–पत्र तथा प्राप्तांक सूची" के कॉलम में गो.आ.विद्या मंदिर खिरखिडा अंकित है। गोविन्द आदर्श शिक्षा समिति खिरखिड़ा से दिनांक 07.07.2004 को जारी पाठशालान्तर प्रवेशानुज्ञा व सत्र 2003–04 का कक्षा 07 का जारी परीक्षा परिणाम पत्रक में श्री मुंशीलाल की जन्मतिथि 19.08.1992 अंकित है। इस प्रकार तीन सदस्यीय जांच कमेटी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट दिनांक 12.

जिला कलक्टर
करौली

03.2013, 23.02.2015 एवं अपीलार्थी द्वारा राशन डीलर का प्राधिकार पत्र लेने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों में अपीलार्थी की जन्मतिथि अलग–अलग अंकित है जिससे अपीलार्थी की आयु का सही निर्धारण तो नहीं किया जा सकता लेकिन अपीलार्थी द्वारा राशन प्राधिकार पत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत करते समय प्रस्तुत परीक्षा परिणाम पत्रक व पाठशालान्तर प्रवेशानुज्ञा का संबंधित पाठशाला में उपलब्ध रिकॉर्ड से मिलान नहीं करना एवं संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा राशन प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करते समय प्रस्तुत दस्तावेजों का संबंधित विद्यालय द्वारा जारी नहीं किया जाना तथा अपीलार्थी द्वारा राशन प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करते समय प्रस्तुत परीक्षा परिणाम पत्रक व पाठशालान्तर प्रवेशानुज्ञा के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं करना यह सिद्ध करता है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत राशन प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करते समय प्रस्तुत दस्तावेज फर्जी हैं और अपीलार्थी द्वारा जालसाजी करके राशन प्राधिकार पत्र प्राप्त किया गया है जिसका निरस्त किया जाना ही न्यायोचित है।

अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.10.2018 यथावत् रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनकी पत्रावली के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.08.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
करौली